



148



माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. .... /रिविजन/2012-2013

R-933-I/13

श्री विनीत ज मुखर्जी  
सुप्रसिद्धा हाउस  
दि-21-2-13 को  
दस्तावेज कार्य पर  
पेश।

21-2-13  
[Signature]

क.क.  
27-2-13

~~सुप्रसिद्धा~~ बाई पति मुरारीलाल, आयु 62 वर्ष  
जाति खाती, निवासी ग्राम गोरवा तह.टोकखूर्द  
जिला देवास, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. रणछोड पिता छोगालाल, उम्र 65 वर्ष,  
जाति खाती, निवासी गोरवा तहसील टोकखूर्द  
जिला देवास म.प्र.
2. धुलजी पिता जोरा जी, (मृतक) रिप्रेजेन्टेट  
बाय
  - अ) जगदीश पिता धुलजी उम्र 40 वर्ष
  - ब) मेहरबान पिता धुलजी उम्र 38 वर्ष
  - स) रामबाबू पिता धुलजी उम्र 36 वर्ष
 सभी जाति खाती निवासी खरेली तहसील  
टोकखूर्द जिला देवास म.प्र.
3. मांगीलाल पिता छोगालालजी उम्र 70 वर्ष
4. मुरारीलाल पिता छोगालालजी उम्र 65 वर्ष
5. बोंदरसिंह पिता जगन्नाथसिंह उम्र 55 वर्ष
6. सोदराबाई वि. गंगाराम उम्र 75 वर्ष

Cont-2

[Signature]  
(श्री. श्री. मुरारीलाल)



[Signature]

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-933-एक/13

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.11.18 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"> प्रशासकीय सदस्य</p>